राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/KSP/M/05/2019-KSP

यूपीएसआरटीसी के साथ दिनांक 08.07.2021 की सुनवाई का कार्यवृत्त वीडियो कॉन्फ्रेसिंग द्वारा सुनवाई में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारीगण :–

1– श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
2– श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
3– श्री रामायण यादव, सलाहकार,राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
4– डॉ0 राकेश वर्मा, सलाहकार,राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
5– श्री इक्तेखारूद्दीन, अध्यक्ष, यूपीएसआरटीसी।
6– श्री धीरज साहू, प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआरटीसी।
7– श्री नन्दलाल सिंह, शिकायतकर्ता।

सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1– आयोग द्वारा बताया गया कि यूपीएसआरटीसी के द्वारा एक आर0टी0आई में दिए गये जवाब के संबंध में श्री के0के0 सिंह, सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (तत्कालीन सेवा प्रबन्धक, अलीगढ़ क्षेत्र प्रथम श्रेणी अधिकारी) के द्वारा आयोग को लिखित रूप में बताया गया है कि उनके द्वारा आर0टी0आई0 में जो जवाब दिया गया है वह नीचे के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। और यह उच्च अधिकारियों से अनुमोदित है। दूसरी आर0टी0आई0 में दिए गए जवाब के संबंध में श्री आर0सी0 यादव, तत्कालीन स0क्षे0प्र0, नरौरा के द्वारा लिखित रूप में बताया गया है कि यह सूचना सेवा प्रबन्धक अलीगढ़ द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित है और उन्होने यह सूचना समझ कर दी है। तथा मो0 परवेज खान, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीएसआरटीसी अलीगढ़ द्वारा आयोग को जवाब दिया गया है कि रिपोर्टकर्ता की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 05.06.2009 को स्टाफकार सं0–यू0पी0–32–ए–0627 से बस सं0–यू0पी0–81 एच–9753, नरौरा डिपो का गुन्नौर थाने के निकट निरीक्षण किया गया। तो उपरोक्त में कौन सा जवाब सही है? जिन अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है उन पर आप क्या कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे? जिसके उत्तर में प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआरटीसी द्वारा बताया गया कि दोनों जवाब में अन्तर है तो दोनों को चिन्हित करना पड़ेगा

और फिर उसमें देखना पड़ेगा कि वह किन कारणों से अलग है, तब जाकर निष्कर्ष निकल पाएगा।

2– आयोग द्वारा कहा गया कि जिस जॉच रिपोर्ट के आधार पर श्री नन्द लाल को नौकरी से पृथक कर दिया गया है उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि उक्त के अतिरिक्त पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि आरोपी की उपस्थिति में वाहन का डीजल नहीं निकाला गया है तथा उसमें श्री नन्दलाल की संलिप्तता नहीं है। जिसके जवाब में प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआरटीसी द्वारा बताया गया कि जॉच रिपोर्ट, जो भी दण्डाधिकारी होंगे उनके समक्ष रखी गई, उन्होने समग्रता से अध्ययन किया और उसके बाद निर्णय लिया गया।

3– आयोग द्वारा पूॅछा गया कि जो जॉच रिपोर्ट है क्या उसी के आधार पर कार्यवाही की गयी हैं, जिसके जवाब में प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआरटीसी द्वारा बताया गया कि दण्डाधिकारी का जो भी आदेश था उसके विरूद्ध जो कर्मचारी हैं उसको अपील का अधिकार था, उन्होने उस अधिकार का प्रयोग भी किया । सारी चीजों को सोच विचार के बाद अपीलीय अधिकारी ने उस अपील को खारिज किया। जो विधि प्रक्रिया है यह उसके तहत हुआ है। पत्र परीक्षाओं के आधार पर अपीलीय अधिकारी ने दण्डाधिकारी के निर्णय से सहमति व्यक्त की हैं।

4– आयोग द्वारा पूॅछा गया कि क्या प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआरटीसी रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर के बारे में जानते हैं और क्या यूपीएसआरटीसी में रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर बनता है, जिसके जवाब में प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआरटीसी द्वारा बताया गया कि यह तथ्यात्मक रूप से पता लगाना पड़ेगा कि रिजर्वेशन रोस्टर बनता है या नहीं बनता है। आयोग द्वारा कहा गया कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो अध्यक्ष, यूपीएसआरटीसी से पूॅछ कर अवगत करा दीजिए, जिसके जवाब में अध्यक्ष, यूपीएसआरटीसी द्वारा बताया गया कि यह तथ्यात्मक रूप से देखकर ही बताना सही रहेगा।

5– आयोग द्वारा कहा गया कि यूपीएसआरटीसी में जितने भी संवर्ग है उन सभी का ग्रुंप ''बी'' ''सी'' और ''डी'' का 05 वर्षो का रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर एवं जितने भी कांट्रेक्चुअल अपवॉइंटमेंट किए गए हैं उनका रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर व विज्ञापन की छायाप्रति आयोग को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जाएं।

6– आयोग द्वारा 08 प्रश्नों को यूपीएसआरटीसी को भेजा जा रहा है उन सभी प्रश्नों का जवाब शपथ–पत्र पर आयोग को 07 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जाए।

7– अध्यक्ष, यूपीएसआरटीसी द्वारा बताया गया कि यूपीएसआरटीसी द्वारा एक साल में 140 ऑर्डर पारित किए है जिसमें से 125 लोगों को बहाल किया गया है। आयोग द्वारा पूँछा गया कि बहाल किए गए 125 लोगों में ओ0बी0सी0 कितने हैं तथा इस प्रकार से कितने पिछड़े वर्ग के लोगों को यूपीएसआरटीसी द्वारा सेवा से पृथक किया गया है। जिसके उत्तर में अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बताया गया कि वह जानकारी देखकर बता पाएंगें।

8– आयोग द्वारा कहा गया कि यूपीएसआरटीसी द्वारा जितने भी रिकॉर्ड्स आयोग के समक्ष भेजे गये हैं उसकी पूर्ण तरीके से जॉच करके जो कार्यवाही हो उसको मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

(धीरज साहू)
प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआरटीसी

(कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
मा0 सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग